State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Research and Development Wing
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 372 /SEIAA/13
Date: 25/4/2013

To,
Joint Secretary-IA Division (Mining)
Ministry of Environment and Forests, GoI
Paryavaran Bhawan,CGO Complex,
Lodhi Road,
New Delhi - 110003

Sub :- Minutes of 125th meeting dtd 09.04.2013 of Madhya Pradesh SEIAA and Decision regarding case no. Case No. 444/09, Prior Environmental Clearances for Township Project Modern city Indore Proposed Township project at village Sonwaya, Tehsil Mhow by Amrapali Homes Project Pvt. Ltd. C-56/40, Sector-62, Noida-U.P.

Ref: - EIA Notification amendment S. O. No. 3067 (E) dtd 01.12.2009

With reference to the above, in the meeting 125th dtd 09.04.2013 decision (point no. **A** of the minutes) for Prior Environmental Clearances Case No. 444/09, Township Project Modern city Indore Proposed Township project at village Sonwaya, Tehsil Mhow by Amrapali Homes Project Pvt. Ltd. C-56/40, Sector-62, Noida-U.P. has been taken on the basis of majority and the views for and against have been recorded. As per Para 3 (7) EIA notification dtd 14.09.2006 and it amendment S. O. No. 3067 (E) dtd 01.12.2009 a copy of the minutes of 125th meeting dtd 09.04.2013 and accordingly decision recorded in the case file is enclosed herewith.

Encl : Copy of minutes & decision (as above)

Total pages – 1+5 = 06

(Manohar Dubey)
O/C Member Secretary

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Research and Development Wing
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 370 / SEIAA/13
Date: 25/4/2013

प्रति
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषयः– Case No. 444/09, Prior Environmental Clearances for Township Project Modern city Indore Proposed Township project at village Sonwaya, Tehsil Mhow by Amrapali Homes Project Pvt. Ltd. C-56/40, Sector-62, Noida-U.P. – पत्र क्रमांक 997 दिनांक 13.02.12 के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में निर्णय बाबत्।

संदर्भः– उक्त प्रकरण के संबंध में SEIAA की 125वीं बैठक दिनांक 09.04.13 में लिया गया निर्णय।

संदर्भित विषयांतर्गत SEIAA की 125वीं बैठक दिनांक 09.04.13 में प्रकरण पर विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि *"Case was discussed and decision was taken and it is being separately, recorded in the case file of the project."*

तत्पश्चात् प्रकरण की नस्ती में लिये गये निर्णय की छायाप्रति संलग्न है।

कृपया निर्णय के बिन्दु क्रमांक 9.1 में उल्लेख अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 19 के अंतर्गत पीपी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– निर्णय की छायाप्रति
Total pages 1+5=06

o/c (मनोहर दुबे)
सदस्य सचिव

371
25/4/2013

प्रतिलिपिः–
1. आयुक्त, नगर निगम, इंदौर, म. प्र. को निर्णय के बिन्दु क्रमांक 9.2 एवं 11 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
2. एक्सीक्यूटिव डायरेक्टर, आम्रपाली होम्स प्रोजेक्ट प्रा. लि., सी–56/40, सेक्टर–62, नोयडा, उत्तर प्रदेश। बिन्दु 9.2 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न :– निर्णय की छायाप्रति
Total pages 1+5=06

o/c (मनोहर दुबे)
सदस्य सचिव

Minutes of the 125th Meeting of SEIAA dated 09.04.2013

The 125th meeting of the State Level Environment Impact Assessment Authority was convened on 09.04.2013 at 10.30 AM at the Authority's Office in M. P. Pollution Control Board Building, Paryavaran Parisar, Bhopal. The meeting was chaired by Shri Amar Singh, Chairman, SEIAA. The following members attended the meeting:-

1	Shri M. Hashim	Member
2	Shri Manohar Dubey	Member Secretary

A. **Personal hearing – Order - Case No. 444/09**, Prior Environmental Clearances for Township Project Modern city Indore Proposed Township project at vill-Sonwaya, Teh-Mhow by Amrapali Homes Project Pvt. Ltd. C-56/40, Sector-62, Noida-U.P.

B. **Cases related to additional information**

Following cases have been considered and the details of the receipt of the additional information from PP are as follows:

S No	Case No.	*No. & date of SEIAA meeting in which add. information was asked*	*Date of issue of minutes of SEIAA meeting*	Date of Rcpt. of last inform.
1	722/2012	105th SEIAA meeting dtd 12.09.12	19.09.2012	01.12.12
2	721/2012	114th SEIAA meeting dtd 06.12.12	09.09.2012	27.12.12
3	703/2012	109th SEIAA meeting dtd 08.10.12	15.10.2012	10.01.13 & 22.02.13
4	474/2009	114th SEIAA meeting dtd. 06.12.12	09.09.2012	21.01.2013 & 22.02.13
5	793/2012	116th SEIAA meeting dtd 08.01.13	18.01.2013	18.01.13 21.01.13 & 04.02.13
6	773 /2012	112nd SEIAA meeting dtd 24.11.12	04.12.2012	07.02.13

C. **Mining cases less than 5 ha in which general condition is attracted.**

S No	Cases
7	Prior Environmental Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 4.800 ha. for production capacity 10,000 cum per year at Khasra No. 949 at Village-Jakhoda, District-Gwalior by **Shri Naresh Singh** S/o Shri Harikanth Singh, Jagrati Nagar, Laxmiganj, Gwalior (M.P)
8	Prior Environmental Clearance for Flag Stone (Farshi Stone) Quarry in an area of 1.0 ha. for production capacity 10,000 cum per year at Khasra No. 968 at Village-Jakhoda, District-Gwalior by **Shri Prakash Singh**, Mahavir Colony, Shabad Pratap Aashram, Lashkar, Gwalior (M.P).
9	Prior Environmental Clearance for Stone Mine in an area of 1.2 ha. for production capacity 5,000 cum per year at Khasra No. 738/1 at Village-Donia, District-Anuppur by **Shri Ghanshyam Tiwari, M/s Saraswati Minerals**, Amarkantak Road, Pendra Road, Bilaspur (C.G).
10	Prior Environmental Clearance for Flag Stone (Farshi Stone) Quarry in an area of 1.180 ha. for production capacity 10,000 cum per year at Khasra No. 943 at Village-Jakhoda, District-Gwalior by **Shri Kailash Adiwasi** S/o Shri Badri Adiwasi, Village-Sirol, Farm No. 5, Teshil-Dabra, District-Gwalior (M.P).

A. **Personal hearing –**

Case No. 444/09, Prior Environmental Clearances for Township Project Modern city Indore Proposed Township project at vill-Sonwaya, Teh-Mhow by Amrapali Homes Project Pvt. Ltd. C-56/40, Sector-62, Noida-U.P.

Case was discussed and decision was taken and it is being separately, recorded in the case file of the project.

(Manohar Dubey)
Member Secretary

(M. Hashim) 13.4.2013
Member

16.4.2013
(Amar Singh)
Chairman

2013 1. मेसर्स आम्रपाली होम्स प्रोजेक्ट इन्दौर को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने के संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र पीपी को पूर्व में जारी किया गया था। इसका उत्तर उसने प्रस्तुत किया था। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के पैरा 8 (vi) के अनुसार पीपी के रिप्रजेन्टेटिव श्री प्रेम मिश्रा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को SEIAA के द्वारा 28.02.2013 को समक्ष में सुना। इसके उपरांत प्रकरण कारण बताओं सूचना पत्र पर अंतिम निर्णय लेने के लिये सुरक्षित रखा गया। SEIAA की बैठक 125वी दिनांक 09.04.2013 को विचार के उपरांत निर्णय लिया गया।

2. प्रकरण के जल प्रदाय से संबंधित तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है :-

(i) मेसर्स आम्रपाली होम्स प्रोजेक्टं, इंदौर का प्रथम आवेदन दिनांक 11.08.2009 को MPSEIAA कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत आवेदन में Form-1 के बिन्दु क्रमांक 1.23 में लेख किया गया है कि योजना में लगभग 1468 KLD पानी की आवश्यकता होगी जो नगर निगम से लिया जावेगा।

(ii) उक्त संबंध में पीपी द्वारा कार्यपालन यंत्री मेंटनेंस डिवीजन क्रमांक ।।, मूसाखेंडी, इंदौर का पत्र क्रमांक 7709 दिनांक 19.12.2008 भी कान्सेप्ट प्लान के साथ संलग्न किया गया है। MPSEAC की बैठक में चाही गई अतिरिक्त जानकारी के संबंध में पीपी पत्र क्रमांक 23.09. 2009 के द्वारा भी उक्त पत्र प्रस्तुत किया गया है। कार्यपालन यंत्री के उक्त पत्र में लेख है कि द्वारा आम्रपाली मार्डन सिटी, इंदौर को नर्मदा फेस –।।। की कमीशनिंग के पश्चात् नगर निगम के नियम एवं शर्तों के अंतर्गत दिया जा सकेगा।

(iii) MPSEAC की 39 वीं बैठक दिनांक 24.10.2009 में लिया गया निर्णय निम्नानुसार है :-

"The requisite information and the documents have been submitted by the PP. Committee has recommended the case for issue of prior EC."

(iv) MPSEIAA की 25 वीं बैठक दिनांक 04.12.2009 में उक्त प्रकरण पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि

"The above case was recommended by SEAC for prior environment clearance.

SEIAA while scrutinizing the documents submitted by the project proponent observed that:-

(i) A Commitment letter by private water supplier to supply water for 3 years has been submitted. Authority would like to know the source of water and the capacity of the above private water supplier.

(ii) Another commitment letter issued by Municipal Corporation, Indore regarding supply of water after commissioning of Narmada Phase-III project has been submitted. No specific date has been mentioned in the letter.

Hence SEIAA decided to send the case back for reconsideration on the above two grounds to SEAC."

(v) MPSEIAA द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में आवेदक द्वारा अपने एक्सीक्यूटिव डायरेक्टर श्री शिव प्रिया द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 19.12.2009 MPSEAC में दिनांक 30. 12.09 को स्वमेव प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्र के साथ संलग्न के रूप में कार्यपालन यंत्री,

--- Cont.

13-4-13 13.4.13

from prepage.
मेंन्टेनेंस डिवीजन नंबर – ।।, मूसाखेड़ी नगर निगम इंदौर का पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 11.12.09 प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि आम्रपाली माडल सिटी प्रोजेक्ट को उनकी आवश्यकता अनुसार 1000 KLD पानी JNNURM योजना के अंतर्गत नर्मदा फेस–।।। की कमीशनिंग के बाद (1 साल के अंदर) इंदौर नगर निगम के नियम व शर्तों के अनुसार प्रदाय किया जायेगा।

(vi) आवेदक द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं सहायक दस्तावेजों के आधार पर MPSEAC की 47वीं बैठक दिनांक 29.01.10 में प्रकरण को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु पुर्न अनुशंसा की गई।

(vii) MPSEAC की अनुशंसा (बैठक दिनांक 29.01.10) को मान्य करते हुये MPSEIAA की 42वीं बैठक दिनांक 13.08.2010 में पीपी को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा पत्र क्रमांक 344 दिनांक 30.08.2010 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

(viii) नगर पालिका निगम, इंदौर कार्यपालन यंत्री संधारण खंड क्रमांक 2, मूसाखेड़ी, इंदौर के पत्र क्रमांक 8054 दिनांक 02.09.11 के द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा मेसर्स आम्रपाली मार्डन सिटी को दिनांक 11.12.09 को जलप्रदाय स्वीकृति हेतु कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। यदि MPSEIAA कार्यालय में मेसर्स आम्रपाली द्वारा कोई पत्र प्रस्तुत किया गया है तो सत्यापन हेतु नगर निगम को भेजने की व्यवस्था की जावे।

(ix) कार्यपालन यंत्री, नगर निगम इंदौर के अनुरोध पर मेसर्स आम्रपाली होम्स द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 11.12.09 की छायाप्रति कार्यालयीन पत्र क्रमांक 542 दिनांक 04.10.11 के माध्यम से सत्यापन हेतु भेजी गयी।

(x) कार्यपालन यंत्री नगर निगम, इंदौर के पत्र क्रमांक 8869 दिनांक 20.10.11 के माध्यम से सूचित किया गया कि उक्त पत्र उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा यह पत्र पूर्णतः फर्जी है।

(xi) चूंकि फर्जी पत्र (दिनांक 11.12.09) MPSEAC कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था अतः प्राथमिक परीक्षण हेतु MPSEAC को पत्र क्रमांक 947 दिनांक 19.01.12 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने को लिखा गया। उक्त संबंध में सदस्य सचिव MPSEAC द्वारा लिखित में दिया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 19.12.09 के माध्यम से उक्त पत्र (11.12.09) सदस्य सचिव के निज सचिव को दी गई थी जो कि नोडल आफिसर को अंकित की गई तथा उक्त जानकारी बैठक के दौरान MPSEAC के सदस्यों के समक्ष रखकर MPSEIAA को अग्रेषित की गई।

(xii) कार्यपालन यंत्री नगर निगम, इंदौर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 8054 दिनांक 02.09.11, पत्र क्रमांक 8869 दिनांक 20.10.11, सदस्य सचिव MPSEAC द्वारा उक्त संबंध में लिखित में दी गई जानकारी को प्राधिकरण की 74वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। MPSEIAA की 74वीं बैठक दिनांक 01.12.2011 में निर्णय लिया गया कि पीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जावे कि क्यों न उनके द्वारा प्रस्तुत फर्जी दस्तावेज के आधार पर उनको प्रदत्त पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (क्रमांक 344 दिनांक 30.08.2010) को निरस्त कर दिया जावे। तदनुसार पीपी को पत्र क्रमांक 997 दिनांक 13.02.12 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

... Cont.

13.4.13

- from prepage

(xiii) उक्त कारण बताओ नोटिस का जबाव पीपी द्वारा पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 03.03.12 MPSEIAA में प्राप्ति दिनांक 03.03.12 के माध्यम से दिया गया। उक्त पत्र में लेख है कि :–

" .....Sir, we have submitted only 1 letter address to Executive Engineer, Municipal Corporation, Indore vide letter no. 7709/ITS/EE/DIV2/2008 and we deeply regret that such fictitious letter as mentioned above has been received by you and it is in your file in the above case and at the same time we are not aware of such fictitious letter....."

(xiv) पीपी का कारण बताओ नोटिस का जबाव पत्र क्रमांक 1343 दिनांक 26.03.12 के माध्यम से सदस्य सचिव, MPSEAC को टिप्पणी हेतु भेजा गया।

(xv) सदस्य सचिव, MPSEAC ने स्वयं तथ्यात्मक जबाव न देते हुये प्रकरण को MPSEAC की 93वीं बैठक दिनांक 10.04.12 तथा 103 बैठक दिनांक 12.09.2012 तथा 109 बैठक दिनांक 06.11.2012 में पुर्नविचार हेतु रखा गया तथा 109वीं बैठक में की गई अनुशंसा निम्नानुसार है :–

..... PP has submitted a response in this context which reveals that some part of the project has already been completed and 25families are residing in the said township. PP has opted to use ground water for the project for which permission from CGWA has been obtained vide letter dated 03/12/2011 for abstraction 240 m^3/day of ground-water. Committee decided to forward the original letter received from the PP to SEIAA for further necessary action in the matter"

(xvi) MPSEIAA की 115वीं बैठक दिनांक 17.12.12 में लिये गये निर्णयानुसार EIA नोटिफिकेशन 14.09.2006 के पैरा 8 (iv) के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर पीपी को दिनांक 22.01.2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पत्र क्रमांक 1891 दिनांक 31.12.12 द्वारा सूचित किया गया।

(xvii) दिनांक 22.01.13 को प्राधिकरण द्वारा सुनवाई की गई तथा रिकार्ड किया गया कि – मेसर्स आम्रपाली की ओर से सुनवाई हेतु श्री प्रेम मिश्रा प्रोजेक्ट डायरेक्ट, प्रोजेक्ट महू उपस्थित हुये उनके द्वारा कोई अथोराईजेशन लेटर प्रस्तुत नहीं किया गया। MPSEIAA के उपलब्ध रिकार्ड अनुसार श्री अनिल कुमार शर्मा अथोराईज्ड सिगनेटरी है (पत्र दिनांक 04.08.2009)। अतः MPSEIAA द्वारा सुनवाई किया जाना संभव नहीं है।

(xviii) तत्पश्चात् MPSEIAA की 117वीं बैठक दिनांक 22.01.13 में निर्णय लिया गया कि पीपी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु एक और मौका दिया जाये तथा इसके लिये दिनांक 28.02.13 निश्चित की गई। तद्नुसार पीपी को पत्र क्रमांक 2356 दिनांक 06.02.13 के माध्यम से सूचित किया गया। MPSEIAA की 121वीं बैठक दिनांक 28.02.13 में प्रकरण की व्यक्तिगत सुनवाई की गई जिसमें मेसर्स आम्रपाली होम्स की ओर से श्री प्रेम मिश्रा प्रोजेक्ट डायरेक्टर आम्रपाली होम्स इंदौर श्री अनिल शर्मा द्वारा जारी अथोराईजेशन लेटर (दिनांक 23.02.13) के साथ उपस्थित हुये। श्री प्रेम मिश्रा के कथन नस्ती पर रिकार्ड किये गये।

--- Cont.

13.4.13

---from prepage

सुनवाई के उपरांत श्री प्रेम मिश्रा द्वारा दिनांक 28.02.13 के माध्यम से लिखित में भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जो अभिलेख किया गया। सुनवाई के दौरान श्री मिश्रा द्वारा स्वीकार किया गया कि नगर निगम, कार्यपालन यंत्री, मूसाखेडी इंदौर के नाम से हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 11.12.09 उनके कन्सल्टेंट ग्रास रूट रिसर्च एंड क्रिएशन प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा श्री प्रेम मिश्रा ने स्वीकार किया कि उक्त पत्र फर्जी है। श्री मिश्रा द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उनके कार्यालय का पत्र दिनांक 19.12.09 जो कि प्रकरण की नस्ती में संलग्न है पर श्री शिव प्रिया एक्सीक्यूटिव डायरेक्टर के हस्ताक्षर हैं और इस पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों में विचाराधीन फर्जी पत्र भी सम्मिलित हैं सदस्य सचिव MPSEAC को प्रस्तुत किया गया है।

3. दिनांक 28.02.13 की सुनवाई के पश्चात् श्री प्रेम मिश्रा द्वारा लिखित में प्रस्तुत अपने पक्ष में भी स्पष्ट लिखा है कि नगर निगम द्वारा जल प्रदाय से संबंधित फर्जी पत्र दिनांक 11.09.12 पीपी के कन्सल्टेंट डॉ. धीरज सिंह डायरेक्टर ग्रास रूट रिसर्च इंडिया प्रा.लि. न्यू दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कंपनी द्वारा उनके कन्सल्टेन्ट को डायरेक्टर श्री शिव प्रिया द्वारा हस्ताक्षरित पत्र (19-12-2009) दिया गया था।
4. उपरोक्त सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कारण बताओं सूचना के उत्तर में पीपी के द्वारा उनके पत्र क्रं. निरंक दिनांक 03.03.2012 मे कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि नगर निगम का तथाकथित फर्जी पत्र उनके कन्सलटेन्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जबकि समक्ष में सुनवाई के दौरान 28.02.2013 को यह बताया गया है कि फर्जी पत्र कन्सलटेन्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बचाव में कही गई यह बात माने जाने योग्य नहीं है।
5. दिनांक 19.12.2009 को श्री शिव प्रिया कम्पनी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पत्र हस्ताक्षरित किया है तथा इस पत्र में इस बात का उल्लेख है कि SEIAA की 25वी बैठक में लिये गये निर्णय के संदर्भ में Requisite Documents Appendix के रूप में संलग्न कर प्रस्तुत किये जा रहे हैं। यह पत्र SEAC कार्यालय में दिनांक 30.12.2009 को प्राप्त हुआ। इस पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन–कौन से डाक्यूमेन्ट संलग्न किये जा रहे हैं। इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया कि यह पत्र किसके माध्यम से भेजा जा रहा है। अतः बचाव में कही गई यह दलील कि तथाकथित फर्जी पत्र कन्सलटेन्ट के द्वारा उनके स्तर पर दिया गया है माने जाने योग्य नहीं है। इस पत्र में संलग्न किये जाने वाले Annexures के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया जाना भी प्रकरण को संदेहजनक बनाता है।
6. उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर यह निर्विवादित है कि जानबूझकर नगर निगम का तथाकथित फर्जी पत्र पीपी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
7. SEAC के दिनांक 06.11.2012 की 109वी बैठक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पीपी ने उनको अवगत कराया है कि प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा पूर्ण किया जा चुका है एवं 25 परिवार वह निवास कर रहे हैं। पीपी ने यह भी बताया था कि सीजीडब्ल्यूए की अनुमति के उपरांत ग्राउण्ड वाटर से जल प्रदाय की व्यवस्था की गई है। SEIAA के कार्यालय द्वारा पत्र क्रं. 344 दिनांक 30.08.2010 के द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई जो कि पीपी को संबोधित है। इसमें जल प्रदाय के संबंध में निम्नलिखित शर्त लगाई गयी है। ---Cont.

16.4.2013

---from prepage

"Total water demand of the proposed project is 1348 KLD. The required water shall be obtained from Indore Municipal Corporation as per their commitment. No ground water should be abstracted."

8. SEIAA कार्यालय की नस्ती में पीपी का पत्र कं. निरंक दिनांक 19.03.2013 लगा हुआ है। यह पत्र दिनांक 19.03.013 को ही प्राप्त हुआ तथा इसका आवक कं. 2656 है। इसमें मुख्य रूप से यह अनुरोध किया गया है :–

   "It is our humble request that please allow two months time to us for getting permission from Municipal Corporation of Musakhedi for commitment letter for our township project in Indore."

9. अध्यक्ष एवं सदस्य का निर्णय है कि :–
   1. पूर्व पर्यावरण स्वीकृति को यथावत रखा जाये किन्तु प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 एवं 19 के अंतर्गत पीपी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र तत्काल लिखा जावे।
   2. पीपी को पत्र लिखकर सूचित किया जाये कि वह विषयांतर्गत आवासीय कालोनी (आम्रपाली होम्स, इंदौर) में नगर निगम द्वारा नर्मदा फेस–।।। से जल प्रदाय की व्यवस्था 31.12.2013 तक सुनिश्चित करें।

एम. हाशिम
सदस्य

13.4.13
अमर सिंह
अध्यक्ष

10. सदस्य सचिव, MPSEIAA का मत था कि चूंकि पीपी द्वारा फर्जी पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रक्रिया को प्रदूषित किया गया है। उक्त पत्र प्रकरण की निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दस्तावेज था। अतः पूर्व पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जाना चाहिये।

मनोहर दुबे
सदस्य सचिव

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 09 के अनुसार बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण इस संबंध में EIA Notification Dated 1.12.2009 SO 3067 (E) के अनुसार मिनट्स की प्रति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाये।

11. इस निर्णय की प्रति पीपी तथा नगर निगम इन्दौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये।

मनोहर दुबे
सदस्य सचिव

13-4-2013
एम. हाशिम
सदस्य

13.4.13
अमर सिंह
अध्यक्ष